भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3286
उत्तर देने की तारीख/16-12/2024

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय

3286. **श्रीमती भारती पारधी:**
क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) केन्द्रीय विद्यालय (केवि) की स्थापना करने के लिए पात्रता/मानदंड क्या हैं;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार विशेषकर मध्य प्रदेश से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के लिए स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में पात्र छात्रों को प्रवेश देते समय आरक्षण नीति का अनुपालन किया जा रहा है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चे बिना किसी नुकसान के प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हों?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) केंद्रीय विद्यालय (केवि) मुख्य रूप से रक्षा और अर्ध-सैन्य कर्मियों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान (आईएचएल) सहित केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरे देश में शिक्षा का एक साझा कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए खोले गए हैं। नए केवि खोलने के प्रस्ताव भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रशासनों द्वारा प्रायोजित किए जा सकते हैं, जिसमें मानदंडों के अनुसार नए केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए भूमि और अस्थायी आवास सहित

अपेक्षित संसाधन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता शामिल होगी। प्रस्ताव मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन होते हैं। नए केवि खोलने के लिए विस्तृत मानदंड केविसं की आधिकारिक वेबसाइट https://kvsangathan.nic.in/en/norms-for-opening-new-kvs/ पर उपलब्ध हैं।

(ख) केवि से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नए केविसं खोलने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 84 व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें मध्य प्रदेश के संबंध में 12 प्रस्ताव शामिल हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न हैं।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान, मध्य प्रदेश राज्य में 12 नए केवि खोलने की मंजूरी/अनुमोदन दिया गया है।

(घ) से (च) केंवि का एक विशिष्ट स्वरूप है और इनकी स्थापना मुख्य रूप से रक्षा और अर्धसैन्य कर्मियों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान (आईएचएल) सहित स्थानांतरित होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई है, जिसके तहत पूरे देश में शिक्षा का एक सामान्य कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाता है। केंविसं कक्षा-1 में नए प्रवेश में 25% आरक्षण देकर हाशिए पर पड़े समुदायों, समाज के वंचित वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी लेयर) को भी आरक्षण दिया जा रहा है तथा प्रवेश स्तर पर दिव्यांग बच्चों के लिए भी क्षैतिज रूप से सीटें आरक्षित की गई हैं। केवि देश भर में अपने सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं, भले ही वे ग्रामीण/दूर-दराज के क्षेत्रों से हों।

*****

अनुलग्नक

"मध्य प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्रीमती भारती पारधी द्वारा पूछे गए दिनांक 16.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3286 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

पिछले पांच वर्षों के दौरान नए केवि खोलने के लिए प्राप्त 84 व्यवहार्य प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र. सं	**राज्य का नाम**	**प्रस्ताव**
1	आंध्र प्रदेश	08
2	अरुणाचल प्रदेश	01
3	असम	02
4	छत्तीसगढ	04
5	गुजरात	03
6	हिमाचल प्रदेश	04
7	जम्मू और कश्मीर	14
8	झारखंड	01
9	कर्नाटक	03
10	केरल	01
11	मध्य प्रदेश	**12**
12	महाराष्ट्र	02
13	ओडिशा	06
14	राजस्थान	06
15	तमिलनाडु	03
16	त्रिपुरा	02
17	उत्तर प्रदेश	08
18	उत्तराखंड	04
	कुल	**84**

*****